कार्यालय, नगरपालिका परिषद, जौनपुर

31 मार्च, 2015 ई0

सं0 1490/दो-कर--उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका बोर्ड द्वारा उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद द्वारा उद्गृहीत किये जा रहे सम्पत्ति करों (जलकर व गृहकर) हेतु अधिनियम की धारा 140 के अन्तर्गत वार्षिक मूल्य की परिभाषा को परिवर्तित करने तथा अधिनियम की धारा 141 (क) के अन्तर्गत प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार नगरपालिका परिषद, जौनपुर क्षेत्र के निवासियों/भवन स्वामियों को स्वतः कर निर्धारण की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 को दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान में सूचना प्रकाशित करायी जा चुकी है। प्रस्तावित उपविधि पर प्राप्त आपत्तियों के निरस्तारण हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। गठित समिति द्वारा प्रस्तावित उपविधि पर प्राप्त समस्त आपत्तियों को निस्तारित करते हुए प्रस्तावित उपविधि को अंतिम रूप से संस्तुति प्रदान की गयी है, जिसे बोर्ड की बैठक दिनांक 12 जून, 2014 को पारित संकल्प संख्या 04, के द्वारा निम्न सम्पत्तिकर उपविधि, 2012 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

नगरपालिका परिषद, जौनपुर 'सम्पत्ति कर उपविधि-2012'

अध्याय-एक

1--नाम और विस्तार--

(1) यह उपविधि जौनपुर नगरपालिका सम्पत्ति कर उपविधि, 2012 कही जायेगी।

(2) यह जौनपुर नगरपालिका सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रभावी होगी।

(3) यह उपविधि 01 प्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगी।

2--परिभाषायें--इस उपविधि में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो--

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है;

(2) "नगरपालिका" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद, जौनपुर से है;

(3) "बोर्ड/अध्यक्ष" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद, जौनपुर के बोर्ड/अध्यक्ष से है;

(4) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद, जौनपुर के अधिशासी अधिकारी से है;

(5) "कर निर्धारण अधिकारी" का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम की धारा 158 के अन्तर्गत उल्लिखित कर निर्धारण अधिकारी से है;

(6) "सम्पत्ति" का तात्पर्य यथास्थिति किसी भूमि या भवन अथवा दोंनो से है;

(7) "भवन" का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत अवधारित भवन से है;

(8) "भवन स्वामी" का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 2(13) में परिभषित भवन स्वामी से है;

(9) "अध्यासी" का तात्पर्य कोई ऐसा व्यक्ति जिसका भवन पर वास्तविक अध्यासन तो है किन्तु उसके पास सम्पत्ति के स्वामित्व का विधिक अधिकार नही है;

(10) "वार्षिक मूल्य" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका परिषद, अधिनियम 1916 की धारा 140 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार आंकलित किये गये वार्षिक मूल्य से है;

(11) "अनावासीय भवन" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा (क) में यथा उल्लेखित अनावासीय भवन से है;

(12) "आवासीय भवन" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 (ख) में यथा उल्लेखित आवासीय भवन से है;

(13) "कारपेट एरिया" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 (ख) के स्पष्टीकरण एक में दिये गये प्राविधानों से है;

(14) "आच्छादित क्षेत्र" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 (क) में निहित व्यवस्था से है;

(15) "क्षेत्रीय किराया दरों" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर वार्षिक मूल्यांकन हेतु धारा 140 (ख) के अनुसार निर्धारित की गई क्षेत्रीय किराया दरों से है;

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, जौनपुर

13 जुलाई, 2015 ई0

सं0 1377/पांच-राजस्व–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 128 की उपधारा (2) के खण्ड (सात) और धारा 298 की उपधारा (2) की सूची प्रथम के शीर्षक (ज) के खण्ड (च) के अधीन दी गई शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, जौनपुर "विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली उपविधि 2014" बनाने का प्रस्ताव करती है, जिसका प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 301 की अपेक्षानुसार दिनांक 05 जुलाई, 2014 को दैनिक समाचार-पत्र "दैनिक मान्यवर" में प्रकाशित कराया जा चुका है। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर बोर्ड की बैठक दिनांक 15 मई, 2015 में संकल्प संख्या 07 पारित कर उपविधि को सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान कर दी गयी है जो दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से लागू होगी।

विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली उपविधि, 2014

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, जौनपुर विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली विनियमन उपविधि, 2014 कही जायेगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद्, जौनपुर की सीमा में लागू होगी।

(3) यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने का दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषायें–(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

[एक] "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है ;

[दो] "विज्ञापन कर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पटट् परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिये लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है ;

[तीन] "विज्ञापन प्रतीक" का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये या तत्संबंध में सूचना देने के लिये या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिये किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुज्य हों और द्वारों के बाहर किसी भी रीति जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पटट् से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो,

[चार] "विज्ञापन" का तात्पर्य विज्ञापन प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन करने से है ;

[पांच] "गुब्बारा" का तात्पर्य गैस से भरे हुये ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी करहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो ;

[छः] "पताका" (Banner) का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं ;

[सात] "पताका विज्ञापन" का तात्पर्य किसी ऐसे प्रतीक से है जिसमें पताका या झण्डी उपयोग प्रदर्शन सतह के रूप में किया जाता है ;

[आठ] "नगरपालिका" से तात्पर्य यथा स्थिति नगरपालिका परिषद्, जौनपुर से है ;

[नौ] "विद्युतीय विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज-सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं ;

[दस] "भू-विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगां हुआ न हो और जो भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ा या विज्ञापन पटट् पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिये दृश्य हो ;

[ग्यारह] "प्रदीप्त विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो ;

[बारह] "शामियाना विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो ;

कार्यालय नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

सम्पत्ति कर कवरेज का विवरणः-

क्र0सं0	नगर निकाय का नाम	जनसंख्या	कुल भवन/सम्पत्ति	कराच्छादित भवन/सम्पत्ति	वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	नगर पालिका परिषद, जौनपुर	180362	38780	38780	96.95

सम्पत्ति कर मॉग वसूली का विवरण (लाख रूपयें में)

क्र0सं0	नगर निकाय का नाम	वर्ष	कुल डिमाण्ड	कुल वसूली	अवशेष	वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर पालिका परिषद, जौनपुर	मार्च, 2018 तक	551.63	551.35	0.28	99.94

कर अधीक्षक
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

कर निर्धारण अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

89.3

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

POST DEMADND COLLECTION BOOK

Property Tax

Total Population-(As per Census 2011) -- 1.80 (in Lack)

Total No. of Properties -- 40000(APPROX)

Total No of assessed properties for Property TaX -- 38780

(Rs. inLacks)

Year	Disputed	Demand			Collection			Balance			PropertyTax Collection 1% age
		Arrear	Current	Total	Arrear	Current	Total	Arrear	Current	Total	
2014-15		2.54	398.04	400.58	2.24	334.90	337.14	0.30	60.90	61.20	84.86 %
2015-16		4.96	474.83	479.79	4.96	474.83	474.83	--	--	--	100.00 %
2016-17		2.92	518.60	521.52	2.92	518.60	518.60	--	--	--	100.00 %

कर अधीक्षक
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

कर निर्धारण अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

desktop/Anil .ts doc